भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2116

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना

2116. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना के तहत पात्र बच्चों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और वित्तीय सहायता तक पहुँच की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वयस्कता प्राप्त करने के बाद लाभार्थियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए किसी दीर्घकालिक निगरानी तंत्र का प्रस्ताव किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) योजना के तहत पात्र बच्चों की समय पर पहचान और उन्हें सहायता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना उन बच्चों की सहायता करने के लिए बनाई है जिन्होंने 11.03.2020 से 05.05.2023 तक की अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण माता-पिता दोनों या जीवित माता अथवा पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता को खो दिया है। इस योजना का उद्देश्य निरंतर रूप से बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से

उनका कल्याण सुनिश्चित करना, उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना और 23 वर्ष की आयु तक वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में 351 पात्र बच्चों को लाभ दिए गए हैं। लाभार्थियों का जिला-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक चिन्हित बच्चे के डाकघर खाते में आनुपातिक राशि इस प्रकार जमा की जाती है कि उसकी 18 वर्ष की आयु होने पर वह राशि 10 लाख रुपये हो जाती है। बच्चे डाकघर की मासिक आय योजना में 10 लाख रुपये की निधि का निवेश करके 18 से 23 वर्ष की आयु के बीच मासिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने के हकदार हैं। वे 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपये की राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं, उन्हें इस मंत्रालय की मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत 4000/- रुपये प्रति माह मिलते हैं। बाल देखभाल संस्थाओं में रहने वाले बच्चों को रहने और खाने की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है।

इस योजना के तहत, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि स्कूल जाने की आयु वर्ग के सभी लाभार्थी, स्कूलों में नामांकित हों। इन बच्चों के प्रवेश की सुविधा के लिए, देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में प्रति कक्षा अधिकतम 2 बच्चों के अध्यधीन प्रति केंद्रीय विद्यालय 10 बच्चों की दर से अतिरिक्त सीटें स्वीकृत की गईं और लाभार्थियों को कक्षा 1 से 12 तक शुल्क के भुगतान से छूट दी गई। साथ ही, निकटतम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय या निजी स्कूलों में प्रवेश देने के लिए प्रावधान किए गए हैं तथा लाभार्थियों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 का लाभ दिया गया है।

इसके अलावा, कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल जाने वाले बच्चों को 20,000/- रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रम/उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में भी बच्चों की सहायता की जाती है। सभी बच्चों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री - जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ दिया गया है। स्वास्थ्य बीमा का कवरेज 23 वर्ष की आयु होने तक प्रदान किया जाता है।

पात्र बच्चे एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में आगे की पढ़ाई के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा कार्यान्वित की जा रही 'छात्रों के लिए स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना' का लाभ भी उठाते हैं। इस योजना के तहत, प्रत्येक छात्र को अध्ययन के प्रत्येक वर्ष (अर्थात प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले डिग्री छात्रों को अधिकतम 4 वर्ष और डिप्लोमा छात्रों को अधिकतम 3 वर्ष) के लिए कॉलेज शुल्क के

भुगतान, कंप्यूटर, स्टेशनरी, किताबें, उपकरण, सॉफ्टवेयर आदि की खरीद के लिए एकमुश्त राशि के रूप में 50,000/- रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं।

(ग) और (घ): मंत्रालय इस योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबद्ध मंत्रालयों जैसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डाक विभाग इत्यादि के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों की निगरानी 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन' पोर्टल के माध्यम से की जाती है, जो लाभार्थियों के सभी लाभों और समस्याओं जैसे करियर में प्रगति, दिए गए लाभ, शिकायतें और उनका निवारण आदि की निगरानी के लिए एक नोडल बिंदु (केंद्रीय केंद्र) है। इस योजना के लाभार्थियों से मिलने के लिए सभी जिलामजिस्ट्रेटों के साथ नियमित रूप से संवाद किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत जिलामजिस्ट्रेटों को बच्चों का अभिभावक बनाया गया है। इन बच्चों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहने और उन्हें मिलने वाले लाभों के उचित कार्यान्वयन की निगरानी के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है। इस हेल्प डेस्क के माध्यम से प्रत्येक बच्चे से नियमित रूप से संपर्क किया जाता है ताकि उनकी व्यक्तिगत, भावनात्मक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाया जा सके। वित्तीय सेवाएं विभाग उन पात्र लाभार्थियों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करता है, जो 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर इस योजना से बाहर होने वाले हैं तथा यह मंत्रालय निधि के उचित प्रबंधन के लिए सभी हितधारकों के संपर्क में रहता है।

अनुलग्नक

'पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना ' विषय पर श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी द्वारा पूछे गए दिनांक 31.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2116 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश में लाभार्थियों का विवरण

क्र.सं.	जिला	कुल लाभार्थी
1	अनंतपुर	40
2	चित्तूर	21
3	पूर्वी गोदावरी	45
4	गुंटूर	24
5	कृष्णा	28
6	कुरनूल	16
7	प्रकाशम	16
8	श्रीकाकुलम	9
9	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	24
10	विशाखापत्तनम	39
11	विजयनगरम	8
12	पश्चिम गोदावरी	56
13	वाई.एस.आर.	25
	कुल	**351**